



उत्तर प्रदेश सरकार

2026-2027 के लिये

**अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें**

(अगस्त, 2026)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार

2026-2027 के लिये

**अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें**

(अगस्त, 2026)

वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है । व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती । अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो । ऐसी मांग “प्रतीक मांग” कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है ।

2. वित्तीय वर्ष 2026–2027 की अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं । विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है । अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है । इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है । विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है ।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 5901954.10 लाख की है, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 1739949.92 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 4162004.18 लाख है ।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन माँगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

श्रावण 13, शक संवत्, 1948
तदनुसार
04 अगस्त, 2026

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के सम्बर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 5901954.10 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 1124097.10 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि ₹ 4777857.00 लाख है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेतर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान /क्रम संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	लघु उद्योग मंत्री राजस्व	1.00	...	1
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राजस्व	1502.79	...	2-3
		पूँजी	12500.00	...	
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री राजस्व	130301.92	...	4-8
		पूँजी	2090588.00	...	
008	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	औद्योगिक विकास मंत्री			9-10
		पूँजी	2350.00	...	
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री राजस्व	695800.00	6427.00	11-12
		पूँजी	40000.00	...	
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	मुख्य मंत्री राजस्व	24409.50	70.87	13-16
		पूँजी	1005.02	...	
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री राजस्व	13237.76	...	17-20
		पूँजी	15900.00	...	
012	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	जल शक्ति मंत्री राजस्व	200.00	...	21
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	ग्राम्य विकास मंत्री राजस्व	8103.51	...	22-24
		पूँजी	1418471.95	...	
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	पंचायती राज मंत्री राजस्व	15633.00	...	25-27
		पूँजी	13998.00	...	
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	पशुधन मंत्री राजस्व	2497.84	...	28-30
		पूँजी	4486.66	...	
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	दुग्ध विकास मंत्री राजस्व	20425.10	...	31-32

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान /क्रम संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	मत्स्य मंत्री	राजस्व	300.00	...	33-34
			पूँजी	600.00	...	
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	मुख्य मंत्री	राजस्व	250.00	...	35
019	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री				36-37
			पूँजी	2520.75	...	
020	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	मुख्य मंत्री	राजस्व	6638.39	...	38
021	खाद्य तथा रसद विभाग	खाद्य तथा रसद मंत्री	राजस्व	24486.35	...	39-41
			पूँजी	1001.74	...	
023	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	गन्ना एवं चीनी मंत्री	राजस्व	1511.00	...	42-43
026	गृह विभाग (पुलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	3575.00	...	44
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	राजस्व	10.00	...	45-48
			पूँजी	10.00	...	
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	राजस्व	110000.00	...	49-50
			पूँजी	9600.00	...	
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	25.00	...	51-52
			पूँजी	2300.00	...	
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	परिवार कल्याण मंत्री	राजस्व	70425.00	...	53-54
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	राजस्व	2015.00	...	55-56
			पूँजी	4050.00	...	

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान /क्रम संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)	पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	
043	परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	12606.00	... 57-59
			पूँजी	6500.00	...
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	प्राविधिक शिक्षा मंत्री	राजस्व	800.00	... 60-62
			पूँजी	51314.52	...
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री	राजस्व	91128.00	... 63-64
050	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1800.00	... 65-67
			पूँजी	24565.00	...
051	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	मुख्य मंत्री	राजस्व	73900.00	... 68
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	146.28	... 69-70
			पूँजी	1000.00	...
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	मुख्य मंत्री	राजस्व	70000.00	... 71-72
			पूँजी	1.00	...
060	वन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	14001.04	... 73-75
			पूँजी	23390.00	...
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	वित्त मंत्री			76-77
			पूँजी	10001.00	...
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	वित्त मंत्री	राजस्व	48.00	... 78-79
067	विधान परिषद् सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री			80
			पूँजी	2057.97	...
068	विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री			81
			पूँजी	1870.00	...

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान /क्रम संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	198.34	...	82
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	35125.64	...	83-84
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री				85-86
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	उच्च शिक्षा मंत्री	पूँजी	7450.00	...	87
074	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	मुख्य मंत्री	पूँजी	500.00	...	88
			राजस्व	3550.00	...	
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री				89-90
077	श्रम विभाग (सेवायोजन)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	पूँजी	1577.13	...	91
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	मुख्य मंत्री	पूँजी	500.00	...	92-94
			राजस्व	33861.84	...	
080	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	मुख्य मंत्री	पूँजी	153.90	...	95-96
			राजस्व	165500.00	...	
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	10972.16	...	97-100
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	मुख्य मंत्री	पूँजी	25582.00	...	101-105
			राजस्व	33119.09	...	
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी	385916.02	...	106-107
			राजस्व	55000.00	...	

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान /क्रम संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
087	सैनिक कल्याण विभाग	मुख्य मंत्री राजस्व	200.00	...	108
092	संस्कृति विभाग	संस्कृति मंत्री			109-110
		पूँजी	243.52	...	
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण राजस्व मंत्री	147.50	...	111
		योग : राजस्व	1733452.05	6497.87	
		पूँजी	4162004.18	...	
		योग :	5895456.23	6497.87	
		कुल योग :	5901954.10		

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(ख) राज कोषीय सेवायें		
(II). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण		
2029 - भू-राजस्व		
	52	146.28
योग : 2029		146.28
योग : (ख)		146.28
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा		
2049 - ब्याज अदायगियां		
	09	6427.00
योग : 2049		6427.00
योग : (ग)		6427.00
(घ) प्रशासनिक सेवायें		
2051 - लोक सेवा आयोग		
	20	6638.39
योग : 2051		6638.39
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें		
	65	1.00
योग : 2052		1.00
2059 - लोक निर्माण कार्य		
	50	1000.00
योग : 2059		1000.00
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें		
	14	5000.00
	26	3575.00
योग : 2070		8575.00
योग : (घ)		16214.39
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें		
2075 - विविध सामान्य सेवायें		
	21	10.00
योग : 2075		10.00
योग : (ङ)		10.00
योग : क		22797.67
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा		
	71	35125.64

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	81	365.50
	83	8676.20
योग : 2202		44167.34
2203 - तकनीकी शिक्षा		
	47	800.00
योग : 2203		800.00
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें		
	14	500.00
योग : 2204		500.00
योग : (क)		45467.34
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
	31	10.00
	32	110000.00
	33	25.00
	36	2015.00
योग : 2210		112050.00
2211 - परिवार कल्याण		
	35	70425.00
	81	10000.00
योग : 2211		80425.00
योग : (ख)		192475.00
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2216 - आवास		
	50	800.00
योग : 2216		800.00
योग : (ग)		800.00
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार		
	86	55000.00
योग : 2220		55000.00
योग : (घ)		55000.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों का कल्याण		
	83	2600.00
योग : 2225		2600.00
योग : (ङ)		2600.00

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास		
	69	198.34
योग : 2230		198.34
योग : (च)		198.34
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
	14	500.00
	49	91128.00
	74	3550.00
	79	33861.84
	80	165500.00
	81	522.00
	83	19850.00
	87	200.00
योग : 2235		315111.84
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
	51	73900.00
योग : 2245		73900.00
योग : (छ)		389011.84
योग : ख		685552.52
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म		
	10	22070.87
	11	8219.32
	23	1511.00
	83	500.00
योग : 2401		32301.19
2403 - पशु पालन		
	15	2497.84
	81	84.66
	83	792.89
योग : 2403		3375.39
2404 - डेरी विकास		
	16	20425.10
	83	700.00
योग : 2404		21125.10

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
2405 - मछली पालन	17	300.00
योग : 2405		300.00
2406 - वानिकी तथा वन्य जीव	10	1000.00
	60	14001.04
योग : 2406		15001.04
2408 - खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	21	6376.35
योग : 2408		6376.35
2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	11	18.44
योग : 2415		18.44
2425 - सहकारिता	18	250.00
	65	47.00
योग : 2425		297.00
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	11	5000.00
योग : 2435		5000.00
योग : (क)		83794.51
(ख) ग्राम विकास		
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	13	103.51
	14	9633.00
योग : 2515		9736.51
योग : (ख)		9736.51
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		
2702 - लघु सिंचाई	93	147.50
योग : 2702		147.50
2705 - कमान क्षेत्र विकास	12	200.00
योग : 2705		200.00
योग : (घ)		347.50
(ङ) उर्जा		
2801 - बिजली	09	695800.00

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2801	695800.00
	योग : (ड)	695800.00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग		
	03	1.00
	06	1502.79
	10	1409.50
	योग : 2851	2913.29
2852 - उद्योग		
	07	130301.92
	योग : 2852	130301.92
	योग : (च)	133215.21
(छ) परिवहन		
3054 - सड़क तथा सेतु		
	13	8000.00
	58	70000.00
	योग : 3054	78000.00
3055 - सड़क परिवहन		
	43	12606.00
	योग : 3055	12606.00
	योग : (छ)	90606.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवायें		
3456 - सिविल पूर्ति		
	21	18100.00
	योग : 3456	18100.00
	योग : (ज)	18100.00
	योग : ग -	1031599.73
	राजस्व लेखा	1739949.92
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय		
	08	2320.00
	योग : 4058	2320.00
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		
	10	953.22
	17	100.00
	47	200.00

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	50	16065.00
	52	1000.00
	67	2057.97
	68	1870.00
	76	1500.00
योग : 4059		23746.19
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	07	11900.00
	08	30.00
	19	2520.75
	61	1.00
योग : 4070		14451.75
योग : क -		40517.94
ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
	47	51114.52
	72	7450.00
	73	500.00
	92	243.52
योग : 4202		59308.04
योग : (क)		59308.04
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूंजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
	31	10.00
	32	9600.00
	33	2300.00
	36	4050.00
	76	77.13
योग : 4210		16037.13
योग : (ख)		16037.13
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
	13	59166.95
	50	8500.00
	81	12204.00
	83	74553.02
योग : 4216		154423.97
योग : (ग)		154423.97

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा		
4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	83	43800.00
योग : 4225		43800.00
योग : (ड)		43800.00
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	14	10998.00
	79	153.90
योग : 4235		11151.90
योग : (छ)		11151.90
(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	77	500.00
योग : 4250		500.00
योग : (ज)		500.00
योग : ख -		285221.04
ग - आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा		
4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	11	15000.00
योग : 4401		15000.00
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	15	4486.66
योग : 4403		4486.66
4405 - मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	17	500.00
योग : 4405		500.00
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	60	23390.00
योग : 4406		23390.00
4415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	11	900.00
योग : 4415		900.00
योग : (क)		44276.66
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा		
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	13	1359305.00
	14	3000.00
	81	13378.00
	83	267563.00
योग : 4515		1643246.00
योग : (ख)		1643246.00
(ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	09	40000.00
योग : 4801		40000.00
योग : (ङ)		40000.00
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		
	06	12500.00
	10	51.80
योग : 4851		12551.80
4859 - दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		
	07	10102.00
योग : 4859		10102.00
4875 - अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		
	07	199586.00
योग : 4875		199586.00
योग : (च)		222239.80
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	07	1569000.00
	58	1.00
योग : 5054		1569001.00
5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय		
	43	6500.00
योग : 5055		6500.00
योग : (छ)		1575501.00
योग : ग -		3525263.46
पूँजीगत लेखा		3851002.44
च - कर्ज तथा उधार		
6075 - विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज		

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	21	1001.74
योग : 6075		1001.74
6875 - अन्य उद्योगों के लिए कर्ज		
	07	300000.00
योग : 6875		300000.00
7610 - सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
	61	10000.00
योग : 7610		10000.00
च - कर्ज तथा उधार		311001.74
योग : समेकत निधि		5901954.10

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	269400.10	111848.53	381248.63
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1.00	...	1.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	269401.10	111848.53	381249.63
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

102 - लघु उद्योग

34 - उत्तर प्रदेश फुटबियर लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025

27 - सब्सिडी

1.00

योग : 34

1.00

योग : 102

1.00

योग : 2851

1.00

योग : राजस्व लेखा

1.00

योग : अनुपूरक

1.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश फुटबियर लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025 हेतु रुपये 1.00 लाख की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी |

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	476556.11	25500.00	502056.11
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1502.79	12500.00	14002.79
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	478058.90	38000.00	516058.90
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

103 - हथकरघा उद्योग

03 - बुनकरों के लिए सामूहिक बीमा योजना

42 - अन्य व्यय

2.79

योग : 03

2.79

06 - राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग योजना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

योग : 06

500.00

10 - मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1000.00

योग : 10

1000.00

योग : 103

1502.79

योग : 2851

1502.79

योग : राजस्व लेखा

1502.79

पूँजी लेखा-----

4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

103 - हथकरघा उद्योग

06 - संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना

	धनराशि
	12500.00
योग : 06	12500.00
योग : 103	12500.00
योग : 4851	12500.00
योग : पूँजी लेखा	12500.00
योग : अनुपूरक	14002.79

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. बुनकरों के लिए सामूहिक बीमा योजना हेतु रुपये 2.79 लाख की आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग योजना हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना हेतु रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता ।
4. संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना हेतु रुपये 12500.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1154305.59	1761943.98	2916249.57
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	130301.92	2090588.00	2220889.92
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1284607.51	3852531.98	5137139.49
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2852 - उद्योग

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

12 - फरैन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफ.डी.आई.) एवं फार्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023

27 - सब्सिडी

130261.00

योग : 12

130261.00

20 - उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021

42 - अन्य व्यय

40.92

योग : 20

40.92

योग : 800

130301.92

योग : 80

130301.92

योग : 2852

130301.92

योग : राजस्व लेखा

130301.92

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

04 - यूपीडा कार्यालय की स्थापना

	धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
60 - भूमि क्रय	10900.00
योग : 04	11900.00
योग : 800	11900.00
योग : 4070	11900.00
4859 - दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
02 - इलेक्ट्रानिक	
800 - अन्य निवेश	
20 - उत्तर प्रदेश आई. टी. सदन की स्थापना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
60 - भूमि क्रय	5000.00
योग : 20	5002.00
21 - स्टेट डाटा सेन्टर 2.0 की स्थापना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1500.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	100.00
60 - भूमि क्रय	3500.00
योग : 21	5100.00
योग : 800	10102.00
योग : 02	10102.00
योग : 4859	10102.00
4875 - अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
60 - अन्य उद्योग	
800 - अन्य व्यय	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101 - भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के अन्तर्गत तैयार 07 परियोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	49586.00
योग : 0101	49586.00
योग : 01	49586.00
03 - अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	

	धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	150000.00
योग : 03	150000.00
योग : 800	199586.00
योग : 60	199586.00
योग : 4875	199586.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03 - राज्य राजमार्ग	
337 - सड़क निर्माण कार्य	
13 - एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के समीप पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	20000.00
योग : 13	20000.00
19 - जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेस-वे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	25000.00
योग : 19	25000.00
23 - आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	40000.00
योग : 23	40000.00
26 - गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	8000.00
60 - भूमि क्रय	650000.00
योग : 26	658000.00
27 - मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तारीकरण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	8000.00
60 - भूमि क्रय	570000.00
योग : 27	578000.00
28 - विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पर सोनभद्र जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली, गाजीपुर होते हुये (विन्ध्य एक्सप्रेस-वे-पूर्वांचल लिंक स्पर) का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	8000.00
60 - भूमि क्रय	230000.00
योग : 28	238000.00
30 - चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली (निकट मयूर विहार), सेक्टर-14 ए से एम.पी.-3 रोड (महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोड़ने हेतु शाहदरा ड्रेन के किनारे एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण	

24 - बृहत् निर्माण कार्य	धनराशि	
		10000.00
	योग : 30	10000.00
	योग : 337	1569000.00
	योग : 03	1569000.00
	योग : 5054	1569000.00
6875 - अन्य उद्योगों के लिए कर्ज		
60 - अन्य उद्योग		
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज		
03 - मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण / नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना		
30 - निवेश/ऋण		300000.00
	योग : 03	300000.00
	योग : 190	300000.00
	योग : 60	300000.00
	योग : 6875	300000.00
योग : पूँजी लेखा		2090588.00
योग : अनुपूरक		2220889.92

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. फरैन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ.डी.आई.) एवं फार्च्यून-500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 हेतु रुपये 130261.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 हेतु रुपये 40.92 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. यूपीडा कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि क्रय के लिये रुपये 10900.00 लाख तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिये रुपये 1000.00 लाख अर्थात् कुल रुपये 11900.00 लाख की आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश आई. टी. सदन की स्थापना हेतु रुपये 5002.00 लाख की आवश्यकता ।
5. स्टेट डाटा सेन्टर 2.0 की स्थापना हेतु रुपये 5100.00 लाख की आवश्यकता ।
6. केन्द्र पुरोनिधानित भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला-हरदोई, रामसनेही घाट-बाराबंकी, मेजा-प्रयागराज, आई एम एल सी गाजीपुर, आई एम एल सी अम्बेडकर नगर, आई एम एल सी बाँदा तथा सेक्टर-28 झाँसी परियोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु रुपये 49586.00 लाख की आवश्यकता ।
7. अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु रुपये 150000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने के लिये अमरोहा, फिरोजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बंदायू, इटावा, हमीरपुर नोड, महोबा नोड, जालौन नोड तथा उन्नाव नोड में इन्टरनल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों हेतु रुपये 20000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेस-वे तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे हेतु रुपये 25000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

10. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु रुपये 40000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण परियोजना हेतु रुपये 8000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण परियोजना के विस्तारीकरण हेतु रुपये 650000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
13. मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तारीकरण के निर्माण कार्यो हेतु रुपये 8000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
14. मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तारीकरण के लिये भूमि क्रय हेतु रुपये 570000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
15. विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पर सोनभद्र जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली, गाजीपुर होते हुये (विन्ध्य एक्सप्रेस-वे-पूर्वांचल लिंक स्पर) योजना के निर्माण कार्यो हेतु रुपये 8000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
16. विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पर सोनभद्र जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली, गाजीपुर होते हुये (विन्ध्य एक्सप्रेस-वे-पूर्वांचल लिंक स्पर) योजना के लिये भूमि क्रय हेतु रुपये 230000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
17. चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली (निकट मथूर विहार), सेक्टर-14 ए से एम.पी.-3 रोड (महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोडने हेतु शाहदरा ड्रेन के किनारे एलीवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण हेतु रुपये 10000.00 लाख की आवश्यकता ।
18. मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण / नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना हेतु रुपये 300000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	29116.70	2725.50	31842.20
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2350.00	2350.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	29116.70	5075.50	34192.20
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

103 - सरकारी मुद्रणालय

03 - सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

2190.00

योग : 03

2190.00

05 - राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज

25 - लघु निर्माण कार्य

10.00

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

50.00

योग : 05

60.00

06 - राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ

25 - लघु निर्माण कार्य

20.00

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

50.00

योग : 06

70.00

योग : 103

2320.00

योग : 4058

2320.00

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

03 - अधिष्ठान (मुख्यालय)

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

	धनराशि
	30.00
योग : 03	30.00
योग : 800	30.00
योग : 4070	30.00
योग : पूँजी लेखा	2350.00
योग : अनुपूरक	2350.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय हेतु रुपये 2190.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज हेतु रुपये 60.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ हेतु रुपये 70.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. वाहन हेतु रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3825761.88	2010389.17	5836151.05
	भारित	171090.85	439692.74	610783.59
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	695800.00	40000.00	735800.00
	भारित	6427.00	...	6427.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	4521561.88	2050389.17	6571951.05
	भारित	177517.85	439692.74	617210.59

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2049 - ब्याज अदायगियां

01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज

200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

04 - विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत बन्ध पत्रों पर ब्याज

0401 - दिनांक 06-01-2015 को निर्गत बन्ध पत्रों (रूपये 5270.13 करोड़ @ 8.68%) पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

मतदेय	--
भारित	4204.00

योग : 0401	मतदेय	--
	भारित	4204.00

0402 - दिनांक 21-05-2015 को निर्गत बन्ध पत्रों (रूपये 5270.13 करोड़ @ 8.44%) पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

मतदेय	--
भारित	2223.00

योग : 0402	मतदेय	--
	भारित	2223.00

योग : 04	मतदेय	--
	भारित	6427.00

योग : 200	मतदेय	--
	भारित	6427.00

धनराशि		
योग : 01	मतदेय	- -
	भारित	6427.00
योग : 2049	मतदेय	- -
	भारित	6427.00

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को सहायता

06 - रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

	695800.00
योग : 06	695800.00
योग : 190	695800.00
योग : 05	695800.00
योग : 2801	695800.00
योग : राजस्व लेखा	मतदेय 695800.00
	भारित 6427.00

पूँजी लेखा-----

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

06 - मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि. के अधीन 3x800 मे.वा. मेजा II तापीय परियोजना की स्थापना

30 - निवेश/ऋण

	40000.00
योग : 06	40000.00
योग : 190	40000.00
योग : 02	40000.00
योग : 4801	40000.00
योग : पूँजी लेखा	40000.00
योग : अनुपूरक	मतदेय 735800.00
	भारित 6427.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. एफ.आर.पी. बन्ध पत्रों पर देय ब्याज हेतु रुपये 6427.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु रुपये 695800.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि. के अधीन 3x800 मे.वा. मेजा II तापीय परियोजना की स्थापना हेतु रुपये 40000.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	248509.94	9919.72	258429.66
	भारित	347.32	...	347.32
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	24409.50	1005.02	25414.52
	भारित	70.87	...	70.87
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	272919.44	10924.74	283844.18
	भारित	418.19	...	418.19

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 - फसल कृषि कर्म

108 - वाणिज्यिक फसलें

10 - भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना

42 - अन्य व्यय

10000.00

योग : 10

10000.00

11 - निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू के भण्डारण प्रभार पर अनुदान

27 - सब्सिडी

10000.00

योग : 11

10000.00

योग : 108

20000.00

119 - बागवानी तथा वनस्पति की फसलें

03 - नर्सरी

0304 - राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण

43 - सामग्री एवं सम्पत्ति

मतदेय

--

भारित

70.87

योग : 0304 मतदेय

--

भारित

70.87

योग : 03

मतदेय

--

भारित

70.87

	धनराशि
05 - मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना	
18 - प्रकाशन	11.00
27 - सब्सिडी	1902.19
42 - अन्य व्यय	66.81
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20.00
योग : 05	2000.00
योग : 119 मतदेय	2000.00
भारित	70.87
योग : 2401 मतदेय	22000.00
भारित	70.87
2406 - वानिकी तथा वन्य जीव	
02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
112 - सार्वजनिक उद्यान	
06 - फलदार पौधों का रोपण	
02 - मजदूरी	322.28
42 - अन्य व्यय	27.50
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	650.22
योग : 06	1000.00
योग : 112	1000.00
योग : 02	1000.00
योग : 2406	1000.00
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग	
107 - रेशम उत्पादन उद्योग	
03 - प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0, लखनऊ को सहायता	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	9.50
योग : 03	9.50
05 - मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना	
02 - मजदूरी	2.42
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.53
27 - सब्सिडी	1311.80
42 - अन्य व्यय	39.99
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.70
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	24.48

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

	धनराशि
	19.08
योग : 05	1400.00
योग : 107	1409.50
योग : 2851	1409.50
योग : राजस्व लेखा	मतदेय 24409.50
	भारित 70.87

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 - अन्य भवन

800 - अन्य व्यय

03 - अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र (CIP-SARC) आगरा के सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि के क्रय एवं निर्माण की योजना

24 - वृहत् निर्माण कार्य 451.25

60 - भूमि क्रय 501.97

योग : 03 953.22

योग : 800 953.22

योग : 60 953.22

योग : 4059 953.22

4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

107 - रेशम उत्पादन उद्योग

03 - रेशम निदेशालय

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय 51.80

योग : 03 51.80

योग : 107 51.80

योग : 4851 51.80

योग : पूँजी लेखा 1005.02

योग : अनुपूरक मतदेय 25414.52

भारित 70.87

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना हेतु रुपये 10000.00 लाख की आवश्यकता ।
2. निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू के भण्डारण प्रभार पर अनुदान हेतु रुपये 10000.00 लाख की आवश्यकता ।
3. जन भवन के उद्यानों का अनुरक्षण हेतु रुपये 70.87 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना हेतु रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

5. फलदार पौधों के रोपण हेतु रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के रूप में 02 सलाहकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के लिये प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीक्ल्चर फेडरेशन, लखनऊ को सहायता हेतु रुपये 9.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना हेतु रुपये 1400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. अन्तर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र आगरा के सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि के क्रय एवं निर्माण की योजना हेतु रुपये 953.22 लाख की आवश्यकता ।
9. रेशम निदेशालय मुख्यालय एवं परिक्षेत्रीय कार्यालयों के वाहनों के प्रतिस्थापन के रूप में 05 नये वाहन क्रय हेतु रुपये 51.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	958786.25	140881.77	1099668.02
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	13237.76	15900.00	29137.76
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	972024.01	156781.77	1128805.78
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 -

103 - बीज

03 - प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र

02 - मजदूरी 191.80

42 - अन्य व्यय 137.22

43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति 670.98

योग : 03 1000.00

04 - प्रमाणित बीजों पर अनुदान

27 - सब्सिडी 2000.00

योग : 04 2000.00

योग : 103 3000.00

105 - खाद तथा उर्वरक

05 - प्रदेश के किसानों को रियायत दर पर वर्मी कम्पोस्ट / कम्पोस्ट / जैव उर्वरक को अनुदान

27 - सब्सिडी 4975.00

42 - अन्य व्यय 25.00

योग : 05 5000.00

योग : 105 5000.00

109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

	धनराशि
14 - मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (MKKY)	
27 - सब्सिडी	100.00
42 - अन्य व्यय	100.00
योग : 14	200.00
योग : 109	200.00
114 - तिलहन विकास	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0125 - नेशनल मिशन ऑन एडिबलि ऑयल (के.100/रा.00-के.)	
27 - सब्सिडी	19.32
योग : 0125	19.32
योग : 01	19.32
योग : 114	19.32
योग : 2401	8219.32
2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
01 - फसल कृषि कर्म	
004 - अनुसंधान	
03 - उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	
42 - अन्य व्यय	18.44
योग : 03	18.44
योग : 004	18.44
योग : 01	18.44
योग : 2415	18.44
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	
01 - विपणन तथा गुणवत्ता नियन्त्रण	
101 - विपणन सुविधायें	
07 - विपणन तथा गुणवत्ता सुविधाओं की स्थापना	
27 - सब्सिडी	5000.00
योग : 07	5000.00
योग : 101	5000.00
योग : 01	5000.00

	धनराशि
योग : 2435	5000.00
योग : राजस्व लेखा	13237.76

पूँजी लेखा-----

4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

103 - बीज

04 - आधारिक बीज भंडार

0401 - खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय

43 - सामग्री एवं सम्पत्ति 15000.00

योग : 0401	15000.00
योग : 04	15000.00
योग : 103	15000.00
योग : 4401	15000.00

4415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

277 - शिक्षा

09 - कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उपकार में उपकरणों/साज-सज्जा आदि

42 - अन्य व्यय 900.00

योग : 09	900.00
योग : 277	900.00
योग : 80	900.00
योग : 4415	900.00

योग : पूँजी लेखा	15900.00
योग : अनुपूरक	29137.76

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र योजना हेतु रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजना हेतु रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रदेश के किसानों को रियायत दर पर वर्मी कम्पोस्ट / कम्पोस्ट / जैव उर्वरक को अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना हेतु रुपये 5000.00 लाख की आवश्यकता ।
4. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता ।
5. केन्द्र पुरोनिधानित नेशनल मिशन ऑन एडिबलि ऑयल (ऑयल शीड्स) योजना हेतु रुपये 19.32 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

6. उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विघ्नेषण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना हेतु रुपये 18.44 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत विपणन तथा गुणवत्ता सुविधाओं की स्थापना हेतु रुपये 5000.00 लाख की आवश्यकता ।
8. खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय योजना हेतु रुपये 15000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उपकार में उपकरणों/साज-सज्जा आदि हेतु रुपये 900.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	33745.02	50.00	33795.02
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	200.00	...	200.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	33945.02	50.00	33995.02
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2705 - कमान क्षेत्र विकास

800 - अन्य व्यय

04 - मॉर्डनाइजेशन ऑफ कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट एण्ड वॉटर मैनेजमेन्ट (M-CADWM) योजनान्तर्गत सोलर पैनल एवं विद्युत यंत्र की स्थापना

27 - सन्सिडी

200.00

योग : 04

200.00

योग : 800

200.00

योग : 2705

200.00

योग : राजस्व लेखा

200.00

योग : अनुपूरक

200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मॉर्डनाइजेशन ऑफ कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट एण्ड वॉटर मैनेजमेन्ट (M-CADWM) योजनान्तर्गत सोलर पैनल एवं विद्युत यंत्र की स्थापना हेतु रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	745984.39	1307433.90	2053418.29
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	8103.51	1418471.95	1426575.46
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	754087.90	2725905.85	3479993.75
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

04 - प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

0401 - उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

103.51

योग : 0401

103.51

योग : 04

103.51

योग : 800

103.51

योग : 2515

103.51

3054 - सड़क तथा सेतु

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

105 - रख-रखाव तथा मरम्मत

03 - उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

0301 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण

29 - अनुरक्षण

8000.00

योग : 0301

8000.00

	धनराशि
योग : 03	8000.00
योग : 105	8000.00
योग : 04	8000.00
योग : 3054	8000.00
योग : राजस्व लेखा	8103.51

पूँजी लेखा-----

4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय

03 - ग्रामीण आवास

800 - अन्य व्यय

04 - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	59166.95
योग : 04	59166.95
योग : 800	59166.95
योग : 03	59166.95
योग : 4216	59166.95

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

102 - सामुदायिक विकास

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0103 - विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु व्यवस्था
(के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय

	103783.00
योग : 0103	103783.00

0104 - विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत श्रमांश हेतु व्यवस्था
(के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय

	460937.00
योग : 0104	460937.00

0105 - विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत सामग्री हेतु व्यवस्था
(के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय

544585.00

	धनराशि
योग : 0105	544585.00
योग : 01	1109305.00
02 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	
0201 - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.75/रा.25-के.+रा.)	
42 - अन्य व्यय	250000.00
योग : 0201	250000.00
योग : 02	250000.00
योग : 102	1359305.00
योग : 4515	1359305.00
योग : पूँजी लेखा	1418471.95
योग : अनुपूरक	1426575.46

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना हेतु रुपये 103.51 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण हेतु रुपये 8000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 59166.95 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु रुपये 103783.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत श्रमांश हेतु रुपये 460937.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत सामग्री हेतु रुपये 544585.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु रुपये 250000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2732932.46	107958.48	2840890.94
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	15633.00	13998.00	29631.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2748565.46	121956.48	2870521.94
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

03 - प्रादेशिक विकास दल

02 - मजदूरी

4500.00

योग : 03

4500.00

13 - पी.आर.डी. परिवार कल्याण योजना

42 - अन्य व्यय

500.00

योग : 13

500.00

योग : 800

5000.00

योग : 2070

5000.00

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें

103 - गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम

04 - युवा समग्र विकास योजना

42 - अन्य व्यय

500.00

योग : 04

500.00

योग : 103

500.00

योग : 2204

500.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 - अन्य कार्यक्रम

03 - मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

धनराशि

500.00

योग : 03

500.00

योग : 200

500.00

योग : 60

500.00

योग : 2235

500.00

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101 - पंचायती राज

23 - प्रदेश के समस्त सचिवालयों में आधार सेवा केन्द्रों की स्थापना

42 - अन्य व्यय

7000.00

योग : 23

7000.00

24 - डिजिटल ग्राम योजना

42 - अन्य व्यय

2333.00

योग : 24

2333.00

25 - उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

300.00

योग : 25

300.00

योग : 101

9633.00

योग : 2515

9633.00

योग : राजस्व लेखा

15633.00

पूँजी लेखा-----

4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 - समाज कल्याण

800 - अन्य व्यय

03 - प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन/बारात घर का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

10998.00

योग : 03

10998.00

योग : 800

10998.00

	धनराशि
योग : 02	10998.00
योग : 4235	10998.00

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

101 - पंचायती राज

12 - मुख्यमंत्री ग्राम सौर योजना

42 - अन्य व्यय

	3000.00
योग : 12	3000.00
योग : 101	3000.00
योग : 4515	3000.00
योग : पूँजी लेखा	13998.00
योग : अनुपूरक	29631.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रादेशिक विकास दल के झूटी भत्ता में वृद्धि हेतु रुपये 4500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पी.आर.डी. परिवार कल्याण योजना हेतु रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता ।
3. युवा समग्र विकास योजना हेतु रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता ।
4. मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. प्रदेश के समस्त ग्राम सचिवालयों में आधार सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु रुपये 7000.00 लाख की आवश्यकता ।
6. डिजीटल ग्राम योजना हेतु रुपये 2333.00 लाख की आवश्यकता ।
7. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता ।
8. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में पंचायत उत्सव भवन निर्माण हेतु रुपये 10998.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. मुख्यमंत्री ग्राम सौर योजना हेतु रुपये 3000.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	481005.46	33609.03	514614.49
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2497.84	4486.66	6984.50
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	483503.30	38095.69	521598.99
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2403 - पशु पालन

102 - पशु तथा भैस विकास

07 - गायों/भैसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)

43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति 400.00

योग : 07 400.00

14 - गौआश्रय केन्द्रों के स्वावलम्बन योजना (रा.यो.)

42 - अन्य व्यय 1.00

योग : 14 1.00

20 - कृत्रिम गर्भाधान की योजना (राज्य योजना)

42 - अन्य व्यय 2000.00

योग : 20 2000.00

योग : 102 2401.00

103 - कुक्कुट विकास

08 - राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण

39 - औषधि तथा रसायन 3.52

योग : 08 3.52

	धनराशि
योग : 103	3.52
106 - अन्य पशुधन विकास	
11 - पशुधन प्रक्षेत्र पर पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिकीकरण की योजना (रा.यो.)	
42 - अन्य व्यय	16.00
योग : 11	16.00
योग : 106	16.00
800 - अन्य व्यय	
06 - पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	77.32
योग : 06	77.32
योग : 800	77.32
योग : 2403	2497.84
योग : राजस्व लेखा	2497.84
पूँजी लेखा-----	
4403 - पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	
101 - पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	
19 - पशु जैविक औषधि संस्थान	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	400.00
योग : 19	400.00
योग : 101	400.00
102 - पशु तथा भैस विकास	
08 - अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ-हापुड का सुदृढीकरण (राज्य योजना)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	925.66
योग : 08	925.66
14 - गौआश्रय केन्द्रों के स्वावलम्बन योजना	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	3124.00
योग : 14	3124.00
योग : 102	4049.66
103 - कुक्कुट विकास	
03 - राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्र का विस्तार एवं सुदृढीकरण योजना (रा.यो.)	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	3.00

	धनराशि
योग : 03	3.00
योग : 103	3.00

106 - अन्य पशुधन विकास

08 - पशुधन प्रक्षेत्र पर पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिकीकरण की योजना (रा.यो.)

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

	34.00
योग : 08	34.00
योग : 106	34.00
योग : 4403	4486.66
योग : पूँजी लेखा	4486.66
योग : अनुपूरक	6984.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना) हेतु रुपये 400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. गौआश्रय केन्द्रों के स्वावलम्बन योजना (रा.यो.) के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 1.00 लाख की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी |
3. कृत्रिम गर्भाधान की योजना (राज्य योजना) हेतु रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 3.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. पशुधन प्रक्षेत्र पर पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिकीकरण की योजना (रा.यो.) के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 16.00 लाख की आवश्यकता ।
6. पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा हेतु रुपये 77.32 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. पशु जैविक औषधि संस्थान का सुदृढीकरण योजना हेतु रुपये 400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ-हापुड का सुदृढीकरण (राज्य योजना) हेतु रुपये 925.66 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. गौआश्रय केन्द्रों के स्वावलम्बन योजना के लिये पूँजीगत व्यय हेतु रुपये 3124.00 लाख की आवश्यकता ।
10. राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्र का विस्तार एवं सुदृढीकरण योजना (रा.यो.) के लिये पूँजीगत व्यय हेतु रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता ।
11. पशुधन प्रक्षेत्र पर पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिकीकरण की योजना (रा.यो.) के लिये पूँजीगत व्यय हेतु रुपये 34.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	40502.00	4179.36	44681.36
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	20425.10	...	20425.10
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	60927.10	4179.36	65106.46
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2404 - डेरी विकास

102 - डेरी विकास परियोजनायें

03 - दुग्ध विकास कार्यक्रम

0305 - सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण

27 - सन्डिडी

400.00

योग : 0305

400.00

0312 - नन्द बाबा दुग्ध मिशन

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

15000.00

योग : 0312

15000.00

योग : 03

15400.00

04 - वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2500.00

योग : 04

2500.00

11 - उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- 2022

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2500.00

800 - अन्य व्यय

04 - "नन्द बाबा पुरस्कार"

42 - अन्य व्यय

धनराशि	
योग : 11	2500.00
योग : 102	20400.00
	25.10
योग : 04	25.10
योग : 800	25.10
योग : 2404	20425.10
योग : राजस्व लेखा	20425.10
योग : अनुपूरक	20425.10

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु रुपये 400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रुपये 15000.00 लाख की आवश्यकता ।
3. वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना) हेतु रुपये 2500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- 2022 के अन्तर्गत निवेशकों के अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध कराने हेतु रुपये 2500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. "नन्द बाबा पुरस्कार" हेतु रुपये 25.10 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	49955.09	38400.00	88355.09
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	300.00	600.00	900.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	50255.09	39000.00	89255.09
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2405 - मछली पालन

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधिष्ठान

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

100.00

योग : 03

100.00

योग : 001

100.00

109 - विस्तार तथा प्रशिक्षण

04 - प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ (IEC)

42 - अन्य व्यय

200.00

योग : 04

200.00

योग : 109

200.00

योग : 2405

300.00

योग : राजस्व लेखा

300.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 - अन्य भवन

800 - अन्य व्यय

03 - नगर निगम लखनऊ स्थित विभागीय भूमि गाटा संख्या 16 , क्षेत्रफल 7330 वर्गमीटर में से 1500 वर्गमीटर पर आवासीय परिसर एवं

	धनराशि
अतिथि गृह का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	100.00
योग : 03	100.00
योग : 800	100.00
योग : 60	100.00
योग : 4059	100.00
4405 - मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
03 - उत्तर प्रदेश पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (दुवास), मथुरा के पूर्वी परिसर, जनपद गोरखपुर में "मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना"	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 03	500.00
योग : 800	500.00
योग : 4405	500.00
योग : पूंजी लेखा	600.00
योग : अनुपूरक	900.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पशुपालन विभाग में विभागीय कार्यों के लिये कन्सलटेन्ट प्राप्त किये जाने हेतु रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ (IEC) हेतु रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता ।
3. नगर निगम लखनऊ स्थित विभागीय भूमि गाटा संख्या 16 , क्षेत्रफल 7330 वर्गमीटर में से 1500 वर्गमीटर पर आवासीय परिसर एवं अतिथि गृह का निर्माण हेतु रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (दुवास), मथुरा के पूर्वी परिसर, जनपद गोरखपुर में 500.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	145116.91	6990.10	152107.01
	भारित	700.00	2850.00	3550.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	250.00	...	250.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	145366.91	6990.10	152357.01
	भारित	700.00	2850.00	3550.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2425 - सहकारिता

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

250.00

योग : 03

250.00

योग : 001

250.00

योग : 2425

250.00

योग : राजस्व लेखा

250.00

योग : अनुपूरक

250.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. त्रिस्तरीय राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (एस.पी.एम. यू.) के व्यय हेतु रुपये 250.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3527.93	...	3527.93
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2520.75	2520.75
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3527.93	2520.75	6048.68
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

003 - प्रशिक्षण

03 - उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी

0302 - डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

50.00

24 - बृहत् निर्माण कार्य

2320.75

योग : 0302

2370.75

0303 - डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, चक गंजरिया सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ हेतु सोलर स्फटॉप संयंत्र

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

150.00

योग : 0303

150.00

योग : 03

2520.75

योग : 003

2520.75

योग : 4070

2520.75

योग : पूँजी लेखा

2520.75

योग : अनुपूरक

धनराशि

2520.75

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. डा. राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी को मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. डा. राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के निर्माण कार्यो हेतु रुपये 2320.75 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. डा. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, चक गंजरिया सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ हेतु सोलर स्फटॉफ संयंत्र हेतु रुपये 150.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	15131.25	3224.02	18355.27
	भारित	15771.61	698.77	16470.38
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	6638.39	...	6638.39
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	21769.64	3224.02	24993.66
	भारित	15771.61	698.77	16470.38

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2051 - लोक सेवा आयोग

102 - राज्य लोक सेवा आयोग

03 - राज्य लोक सेवा आयोग

23 - गुप्त सेवा व्यय

4619.40

योग : 03

4619.40

योग : 102

4619.40

103 - कर्मचारी चयन आयोग

03 - उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

2018.99

योग : 03

2018.99

योग : 103

2018.99

योग : 2051

6638.39

योग : राजस्व लेखा

6638.39

योग : अनुपूरक

6638.39

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य लोक सेवा आयोग को गुप्त सेवा व्यय हेतु रुपये 4619.40 लाख की आवश्यकता ।
2. उ 0 प्र 0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु रुपये 2018.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-16 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	224714.19	1787677.00	2012391.19
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	24486.35	1001.74	25488.09
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	249200.54	1788678.74	2037879.28
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2075 - विविध सामान्य सेवायें

800 - अन्य व्यय

03 - उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

10.00

योग : 03

10.00

योग : 800

10.00

योग : 2075

10.00

2408 - खाद्य भण्डारण तथा भांडागार

01 - खाद्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

05 - कॉल सेन्टर की स्थापना

42 - अन्य व्यय

200.00

योग : 05

200.00

06 - खाद्य तथा रसद विभाग में पी.एम.यू. का गठन

42 - अन्य व्यय

240.33

योग : 06

240.33

07 - अन्नपूर्णा भवनों में विभिन्न सुविधाएँ

42 - अन्य व्यय

2550.00

	धनराशि
योग : 07	2550.00
08 - विभागीय योजनाओं का डिजिटल सोशल मीडिया से प्रसार	
42 - अन्य व्यय	46.02
योग : 08	46.02
योग : 001	3036.35
102 - खाद्य सहायता	
03 - माँ अन्नपूर्णा कैन्टीन योजना	
42 - अन्य व्यय	100.00
योग : 03	100.00
योग : 102	100.00
800 - अन्य व्यय	
03 - सुदृढ़ एवं पारदर्शी खाद्यान्न आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था	
42 - अन्य व्यय	3240.00
योग : 03	3240.00
योग : 800	3240.00
योग : 01	6376.35
योग : 2408	6376.35
3456 - सिविल पूर्ति	
102 - सिविल पूर्ति योजना	
04 - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत हितधारकों को दिये जा रहे लाभों के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार	
42 - अन्य व्यय	100.00
योग : 04	100.00
05 - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत उचित दर पर विक्रेताओं को मार्जिन / लाभांश का भुगतान	
42 - अन्य व्यय	18000.00
योग : 05	18000.00
योग : 102	18100.00
योग : 3456	18100.00
योग : राजस्व लेखा	24486.35
पूँजी लेखा-----	
6075 - विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	

800 - अन्य कर्ज

03 - उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को कर्ज

30 - निवेश/ऋण

योग : पूँजी लेखा

योग : अनुपूरक

धनराशि

1001.74

1001.74

1001.74

1001.74

1001.74

25488.09

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान हेतु रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. 100 सीटर विभागीय कॉल सेन्टर की स्थापना हेतु रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता ।
3. खाद्य तथा रसद विभाग में पी.एम.यू. का गठन हेतु रुपये 240.33 लाख की आवश्यकता ।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्नपूर्णा भवनों में विभिन्न सुविधाएँ हेतु रुपये 2550.00 लाख की आवश्यकता ।
5. विभागीय योजनाओं का डिजिटल सोशल मीडिया से प्रसार हेतु रुपये 46.02 लाख की आवश्यकता ।
6. उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर योजना की व्यवस्था हेतु रसोई केन्द्रों के साथ व्यवस्थित पारदर्शी माँ अन्नपूर्णा कैन्टीन के संचालन हेतु रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता ।
7. सुदृढ़ एवं पारदर्शी खाद्यान्न आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था हेतु रुपये 3240.00 लाख की आवश्यकता ।
8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत हित धारकों को दिये जा रहे लाभों के सम्बन्ध में जागरूकता के लिये प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता ।
9. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं को मार्जिन/लाभांश के भुगतान हेतु रुपये 18000.00 लाख की आवश्यकता ।
10. उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को ब्याज मुक्त कर्ज हेतु रुपये 1001.74 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	40488.13	676.40	41164.53
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1511.00	...	1511.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	41999.13	676.40	42675.53
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 - फसल कृषि कर्म

108 - वाणिज्यिक फसलें

03 - गन्ना

0301 - उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् शाहजहाँपुर को सहायता

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

471.00

योग : 0301

471.00

0307 - मैकेनिकल गन्ना कटाई यन्त्र की खरीद हेतु सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1040.00

योग : 0307

1040.00

योग : 03

1511.00

योग : 108

1511.00

योग : 2401

1511.00

योग : राजस्व लेखा

1511.00

योग : अनुपूरक

1511.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उ.प्र. गन्ना शोध परिषद् शाहजहाँपुर को पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये सहायता हेतु रुपये 471.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. मैकेनिकल गन्ना कटाई यन्त्र की खरीद के लिए सहायता हेतु रुपये 1040.00 लाख की आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-55 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3937649.60	476928.07	4414577.67
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3575.00	...	3575.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3941224.60	476928.07	4418152.67
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

03 - पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

23 - गुप्त सेवा व्यय

3575.00

योग : 03

3575.00

योग : 800

3575.00

योग : 2070

3575.00

योग : राजस्व लेखा

3575.00

योग : अनुपूरक

3575.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के गुप्त सेवा व्यय हेतु रुपये 3575.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	888133.08	491420.78	1379553.86
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10.00	10.00	20.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	888143.08	491430.78	1379573.86
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

110 - अस्पताल तथा औषधालय

03 - उत्तर प्रदेश राज्य में केयर यू.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकृत वैश्विक मानकों पर आधारित स्मार्ट आई.सी.यू नेटवर्क की स्थापना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1.00

योग : 03

2.00

04 - उत्तर प्रदेश राज्य में एकीकृत ट्रॉमा और इमरजेन्सी नेटवर्क(यू.पी.टी.ई.एन.) की स्थापना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1.00

योग : 04

2.00

योग : 110

4.00

योग : 01

4.00

05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

03 - शिक्षा

0303 - ऑपरेशन थियेटर का सुदृढीकरण

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

धनराशि

1.00

योग : 0303

2.00

0309 - संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1.00

योग : 0309

2.00

0397 - उत्तर प्रदेश राज्य कैसर मिशन की स्थापना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1.00

योग : 0397

2.00

योग : 03

6.00

योग : 105

6.00

योग : 05

6.00

योग : 2210

10.00

योग : राजस्व लेखा

10.00

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें

110 - अस्पताल तथा औषधालय

03 - उत्तर प्रदेश राज्य में केयर यू.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकृत वैश्विक मानकों पर आधारित स्मार्ट आई.सी.यू नेटवर्क की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1.00

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

1.00

योग : 03

2.00

04 - उत्तर प्रदेश राज्य में एकीकृत ट्रॉमा और इमरजेन्सी नेटवर्क(यू.पी.टी.ई.एन.) की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1.00

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

1.00

योग : 04

2.00

	धनराशि
योग : 110	4.00
योग : 01	4.00

03 - चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

02 - ऑपरेशन थियेटर का सुदृढीकरण

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 02	2.00

03 - संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 03	2.00

97 - उत्तर प्रदेश राज्य कैसर मिशन की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 97	2.00
योग : 105	6.00
योग : 03	6.00
योग : 4210	10.00

योग : पूंजी लेखा 10.00

योग : अनुपूरक 20.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश राज्य में केयर यू.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकृत वैश्विक मानकों पर आधारित स्मार्ट आई.सी.यू नेटवर्क की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश राज्य में एकीकृत ट्रॉमा और इमरजेन्सी नेटवर्क(यू.पी.टी.ई.एन.) की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता ।
3. ऑपरेशन थियेटर का सुदृढीकरण कार्यक्रम के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता ।
4. संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ में क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सेन्टर की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. उत्तर प्रदेश राज्य कैसर मिशन की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता ।
6. उत्तर प्रदेश राज्य में केयर यू.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकृत वैश्विक मानकों पर आधारित स्मार्ट आई.सी.यू नेटवर्क की स्थापना के लिये पूंजीगत व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता ।
7. उत्तर प्रदेश राज्य में एकीकृत ट्रॉमा और इमरजेन्सी नेटवर्क(यू.पी.टी.ई.एन.) की स्थापना के लिये पूंजीगत व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता ।

8. ऑपरेशन थियेटर का सुदृढीकरण कार्यक्रम के लिये पूंजीगत व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता ।
9. संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ में क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सेन्टर की स्थापना के लिये पूंजीगत व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर मिशन की स्थापना के लिये पूंजीगत व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1312163.79	92643.01	1404806.80
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	110000.00	9600.00	119600.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1422163.79	102243.01	1524406.80
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

200 - अन्य स्वास्थ्य सेवायें

04 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियां

42 - अन्य व्यय

90000.00

योग : 04

90000.00

योग : 200

90000.00

योग : 01

90000.00

03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

110 - अस्पताल तथा औषधालय

03 - 108 ई 0 एम 0 टी0 एस 0 "स्वास्थ्य सेवा" का संचालन

42 - अन्य व्यय

20000.00

योग : 03

20000.00

योग : 110

20000.00

योग : 03

20000.00

योग : 2210

110000.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	110000.00
पूँजी लेखा-----	
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
800 - अन्य व्यय	
04 - शहरी चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	9600.00
योग : 04	9600.00
योग : 800	9600.00
योग : 01	9600.00
योग : 4210	9600.00
योग : पूँजी लेखा	9600.00
योग : अनुपूरक	119600.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियां हेतु रुपये 90000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित 108 ई 0 एम 0 टी0 एस 0 एम्बुलेन्स सेवा, ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के संचालन हेतु रुपये 20000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. शहरी चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था हेतु रुपये 9600.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	185653.60	10626.10	196279.70
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	25.00	2300.00	2325.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	185678.60	12926.10	198604.70
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

02 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां

101 - आयुर्वेद

12 - आई.आई.टी. कानपुर में आयुर्वेद अनुसंधान क्लीनिकल प्रमाणीकरण केन्द्र(Centre for Ayurveda Research-Clinical Validation) की स्थापना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

25.00

योग : 12

25.00

योग : 101

25.00

योग : 02

25.00

योग : 2210

25.00

योग : राजस्व लेखा

25.00

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें

110 - अस्पताल तथा औषधालय

04 - आई.आई.टी. कानपुर में आयुर्वेद अनुसंधान क्लीनिकल प्रमाणीकरण केन्द्र(Centre for Ayurveda Research-Clinical Validation) की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

300.00

	धनराशि
योग : 04	300.00
योग : 110	300.00
योग : 01	300.00

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

09 - राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय भवन निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	2000.00
योग : 09	2000.00
योग : 800	2000.00
योग : 80	2000.00
योग : 4210	2300.00
योग : पूँजी लेखा	2300.00
योग : अनुपूरक	2325.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आई.आई.टी. कानपुर में आयुर्वेद अनुसंधान क्लीनिकल प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता ।
2. आई.आई.टी.कानपुर में आयुर्वेद अनुसंधान क्लीनिकल प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना के लिये पूंजीगत व्यय हेतु रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता ।
3. प्रदेश के 05 मण्डलों (आगरा, बस्ती, गोण्डा, मेरठ एवं मिर्जापुर) जहाँ पर कोई आयुष महाविद्यालय संचालित नहीं है में नये राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों की स्थापना हेतु रुपये 2000.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1555370.83	395074.57	1950445.40
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	70425.00	...	70425.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1625795.83	395074.57	2020870.40
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2211 - परिवार कल्याण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (के.60/रा.40-के+रा.)

10 - जलकर / जल प्रभार	15.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00
42 - अन्य व्यय	30.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50.00

योग : 0102 105.00

योग : 01 105.00

योग : 001 105.00

101 - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थित ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र (के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय	20.00
----------------	-------

योग : 0101 20.00

	धनराशि
योग : 01	20.00
योग : 101	20.00
102 - शहरी परिवार कल्याण सेवायें	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102 - स्थानीय निकायों और स्वायत्त द्वारा संचालित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र संगठनों	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	300.00
योग : 0102	300.00
योग : 01	300.00
योग : 102	300.00
800 - अन्य व्यय	
07 - 102 नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस	
42 - अन्य व्यय	20000.00
योग : 07	20000.00
08 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टॉपअप की व्यवस्था	
42 - अन्य व्यय	50000.00
योग : 08	50000.00
योग : 800	70000.00
योग : 2211	70425.00
योग : राजस्व लेखा	70425.00
योग : अनुपूरक	70425.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय, राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो के लिये विभिन्न मदों हेतु रुपये 80.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नियंत्रणाधीन राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो हेतु अन्य व्यय मद में रुपये 25.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थित ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों हेतु रुपये 20.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. संयुक्त निदेशक (नगरीय) मुख्यालय के लिये स्थानीय निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र हेतु सहायता अनुदान के लिये रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. 102 नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस हेतु रुपये 20000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु टॉपअप की व्यवस्था हेतु रुपये 50000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	160513.19	2392.00	162905.19
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2015.00	4050.00	6065.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	162528.19	6442.00	168970.19
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य**06 - लोक स्वास्थ्य सेवायें****001 - निदेशन तथा प्रशासन****04 - खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना**

02 - मजदूरी	30.00
04 - यात्रा व्यय	25.00
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25.00
08 - कार्यालय व्यय	250.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	100.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00
29 - अनुरक्षण	200.00
39 - औषधि तथा रसायन	100.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	50.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	75.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00

	धनराशि
योग : 04	2015.00
योग : 001	2015.00
योग : 06	2015.00
योग : 2210	2015.00
योग : राजस्व लेखा	2015.00

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

04 - लोक स्वास्थ्य

107 - लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं

03 - राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का उच्चिकरण

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 700.00

योग : 03 700.00

योग : 107 700.00

800 - अन्य व्यय

05 - खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मण्डलीय कार्यालय तथा प्रयोगशालाओं का भवन निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य 350.00

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 3000.00

योग : 05 3350.00

योग : 800 3350.00

योग : 04 4050.00

योग : 4210 4050.00

योग : पूँजी लेखा 4050.00

योग : अनुपूरक 6065.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना हेतु रुपये 2015.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का उच्चिकरण हेतु रुपये 700.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मण्डलीय कार्यालय तथा प्रयोगशालाओं का भवन निर्माण हेतु रुपये 3350.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	80416.64	83234.00	163650.64
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	12606.00	6500.00	19106.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	93022.64	89734.00	182756.64
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3055 - सड़क परिवहन**190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता**

03 - राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान

42 - अन्य व्यय 14.00

योग : 03 14.00

04 - राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा व्यवस्था के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान

42 - अन्य व्यय 10000.00

योग : 04 10000.00

योग : 190 10014.00

800 - अन्य व्यय

04 - उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 का क्रियान्वयन

27 - सब्सिडी 367.00

42 - अन्य व्यय 20.00

योग : 04 387.00

05 - उ० प्र० सड़क सुरक्षा कोष से व्यय

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान 205.00

06 - इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी

27 - सब्सिडी

धनराशि	
योग : 05	205.00
योग : 06	2000.00
योग : 800	2592.00
योग : 3055	12606.00
योग : राजस्व लेखा	12606.00

पूँजी लेखा-----

5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

04 - उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी

0401 - बस अड्डों के निर्माण हेतु

30 - निवेश/ऋण

योग : 0401	5000.00
योग : 04	5000.00
योग : 190	5000.00

800 - अन्य व्यय

05 - उ 0 प्र 0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय

42 - अन्य व्यय

योग : 05	1500.00
योग : 800	1500.00
योग : 5055	6500.00
योग : पूँजी लेखा	6500.00

योग : अनुपूरक

19106.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान हेतु रुपये 14.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा व्यवस्था के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान हेतु रुपये 10000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु रुपये 387.00 लाख की आवश्यकता ।

4. आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के लिए उ 0 प्र 0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय हेतु रुपये 205.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. उ 0 प्र 0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डों के निर्माण हेतु रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. पूंजीगत कार्यों के लिये उ 0 प्र 0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय हेतु रुपये 1500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-20 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	109055.64	120511.39	229567.03
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	800.00	51314.52	52114.52
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	109855.64	171825.91	281681.55
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2203 - तकनीकी शिक्षा

112 - इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

11 - बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज, झाँसी को अनुदान

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

800.00

योग : 11

800.00

योग : 112

800.00

योग : 2203

800.00

योग : राजस्व लेखा

800.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

03 - प्राविधिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों हेतु एकीकृत कार्यालय भवन के निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

200.00

योग : 03

200.00

योग : 051

200.00

योग : 01

200.00

	धनराशि	
योग : 4059	200.00	
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
02 - तकनीकी शिक्षा		
104 - बहुशिल्प		
14 - राजकीय पालीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/एक्सीलेन्स सेंटर		
24 - वृहत् निर्माण कार्य	10954.00	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	27258.52	
योग : 14	38212.52	
58 - राजकीय पालीटेक्निकों की स्थापना		
24 - वृहत् निर्माण कार्य	10100.00	
योग : 58	10100.00	
योग : 104	48312.52	
105 - इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान		
05 - प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 03 प्राविधिक विश्वविद्यालयों एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों / राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में टाटा के सहयोग से नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित / उन्नयन, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स		
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00	
योग : 05	2.00	
07 - बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज, झाँसी		
24 - वृहत् निर्माण कार्य	300.00	
योग : 07	300.00	
09 - उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर		
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00	
योग : 09	500.00	
10 - अभियन्त्रण संस्थाओं में छात्रावास का निर्माण		
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00	
योग : 10	500.00	
13 - इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज		
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00	
योग : 13	500.00	
16 - हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर		
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00	

	धनराशि
योग : 16	500.00
21 - प्राविधिक विश्वविद्यालयों / अभियन्त्रण संस्थाओं के पूर्व से निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 21	500.00
योग : 105	2802.00
योग : 02	51114.52
योग : 4202	51114.52
योग : पूँजी लेखा	51314.52
योग : अनुपूरक	52114.52

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज, झाँसी को अनुदान हेतु रुपये 800.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्राविधिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों हेतु एकीकृत कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता ।
3. टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 31 राजकीय पालीटेक्निकों में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किये जाने हेतु रुपये 38212.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राजकीय पालीटेक्निकों की स्थापना हेतु रुपये 10100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 03 प्राविधिक विश्वविद्यालयों एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों / राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में टाटा के सहयोग से नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित / उन्नयन, सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स सेंटर हेतु रुपये 2.00 लाख की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी |
6. बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज, झाँसी को निर्माण कार्य हेतु रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. अभियन्त्रण संस्थाओं में छात्रावास का निर्माण हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. प्राविधिक विश्वविद्यालयों / अभियन्त्रण संस्थाओं के पूर्व से निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1495740.16	70523.00	1566263.16
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	91128.00	...	91128.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1586868.16	70523.00	1657391.16
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

06 - उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

11000.00

योग : 06

11000.00

योग : 102

11000.00

103 - महिला कल्याण

10 - उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष

42 - अन्य व्यय

5000.00

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

430.00

योग : 10

5430.00

12 - मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

10.00

योग : 12

10.00

15 - निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान

1501 - जिला योजना

63 - सामाजिक पेंशन

74688.00

धनराशि	
योग : 1501	74688.00
योग : 15	74688.00
योग : 103	80128.00
योग : 02	91128.00
योग : 2235	91128.00
योग : राजस्व लेखा	91128.00
योग : अनुपूरक	91128.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) हेतु रुपये 11000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष हेतु रुपये 5430.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना हेतु रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता ।
4. पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के संचालन हेतु रुपये 74688.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	153084.37	41404.79	194489.16
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1800.00	24565.00	26365.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	154884.37	65969.79	220854.16
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2059 - लोक निर्माण कार्य

80 - सामान्य

053 - रखरखाव तथा मरम्मत

03 - मंडल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण संबन्धी कार्य

29 - अनुरक्षण

1000.00

योग : 03

1000.00

योग : 053

1000.00

योग : 80

1000.00

योग : 2059

1000.00

2216 - आवास

07 - अन्य आवास

053 - रख-रखाव तथा मरम्मत

03 - मंडल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों के अनुरक्षण संबन्धी कार्य

29 - अनुरक्षण

800.00

योग : 03

800.00

योग : 053

800.00

योग : 07

800.00

	धनराशि
योग : 2216	800.00
योग : राजस्व लेखा	1800.00
पूँजी लेखा-----	
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - कार्यालय भवन	
051 - निर्माण	
02 - प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण / विस्तार / पुनर्निर्माण / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	14065.00
योग : 02	14065.00
05 - प्रत्येक नायब तहसीलदार सर्किल पर नायब तहसीलदार कार्यालय की स्थापना	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 05	2000.00
योग : 051	16065.00
योग : 01	16065.00
योग : 4059	16065.00
4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - सरकारी रिहायशी भवन	
106 - साधारण पूल आवास	
03 - आवासीय भवन	
0301 - प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	8500.00
योग : 0301	8500.00
योग : 03	8500.00
योग : 106	8500.00
योग : 01	8500.00
योग : 4216	8500.00
योग : पूँजी लेखा	24565.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मंडल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण संबंधी कार्य हेतु रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. मंडल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों के अनुरक्षण संबंधी कार्य हेतु रुपये 800.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. जनपद सम्भल के मुख्यालय बहजोई में नवीन इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट तथा जनपद वाराणसी में नवीन इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु रुपये 14065.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. प्रत्येक नायब तहसीलदार सर्किल पर नायब तहसीलदार कार्यालय की स्थापना हेतु रुपये 2000.00 लाख की आवश्यकता ।
5. प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार/सुदृढीकरण हेतु रुपये 3550.00 लाख तथा जनपद संभल के मुख्यालय बहजोई में इंटीग्रेटेड आवासों के निर्माण हेतु रुपये 4950.00 लाख अर्थात् कुल रुपये 8500.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	794479.25	77435.00	871914.25
	भारित	76300.00	...	76300.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	73900.00	...	73900.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	868379.25	77435.00	945814.25
	भारित	76300.00	...	76300.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

08 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड

797 - आरक्षित निधियों / जमा लेखों को अन्तरण

03 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड

48 - अन्तर्लेखा संक्रमण

73900.00

योग : 03

73900.00

योग : 797

73900.00

योग : 08

73900.00

योग : 2245

73900.00

योग : राजस्व लेखा

73900.00

योग : अनुपूरक

73900.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड हेतु रुपये 73900.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	576858.92	12573.85	589432.77
	भारित	4.00	7.88	11.88
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	146.28	1000.00	1146.28
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	577005.20	13573.85	590579.05
	भारित	4.00	7.88	11.88

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2029 - भू-राजस्व

800 - अन्य व्यय

03 - खेतों की चकबन्दी

0301 - मुख्यालय

44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय

146.28

योग : 0301

146.28

योग : 03

146.28

योग : 800

146.28

योग : 2029

146.28

योग : राजस्व लेखा

146.28

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 - अन्य भवन

051 - निर्माण

12 - राजा टोडरमल राजस्व विश्वविद्यालय, हरदोई

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1000.00

	धनराशि
योग : 12	1000.00
योग : 051	1000.00
योग : 60	1000.00
योग : 4059	1000.00
योग : पूँजी लेखा	1000.00
योग : अनुपूरक	1146.28

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. चकबन्दी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रुपये 146.28 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजा टोडरमल प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई को राजा टोडरमल राजस्व विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1087850.00	2145306.00	3233156.00
	भारित	11.00	3000.00	3011.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	70000.00	1.00	70001.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1157850.00	2145307.00	3303157.00
	भारित	11.00	3000.00	3011.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3054 - सड़क तथा सेतु

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

03 - अनुरक्षण एवं मरम्मत

0301 - प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य

29 - अनुरक्षण

30000.00

योग : 0301

30000.00

0332 - प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य

29 - अनुरक्षण

40000.00

योग : 0332

40000.00

योग : 03

70000.00

योग : 337

70000.00

योग : 04

70000.00

योग : 3054

70000.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	70000.00

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जिला तहसील / ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / नवनिर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	1.00
योग : 05	1.00
योग : 337	1.00
योग : 04	1.00
योग : 5054	1.00
योग : पूँजी लेखा	1.00
योग : अनुपूरक	70001.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 30000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रदेश के ग्रामीण मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 40000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जिला तहसील/ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/नवनिर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था हेतु रुपये 1.00 लाख की प्रतीक आवश्यकता। आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-30 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	133774.63	142767.03	276541.66
	भारित	12112.28	...	12112.28
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	14001.04	23390.00	37391.04
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	147775.67	166157.03	313932.70
	भारित	12112.28	...	12112.28

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110 - वन्य जीव परिरक्षण

07 - रेस्क्यू/पुनर्वास/संरक्षण प्रजनन केन्द्रों का संचालन योजना

42 - अन्य व्यय

135.00

योग : 07

135.00

13 - उत्तर प्रदेश वन्य जीवों का संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना

42 - अन्य व्यय

6975.00

योग : 13

6975.00

योग : 110

7110.00

111 - चिड़िया घर

04 - शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान गोरखपुर, सोसाइटी हेतु कार्पस फण्ड

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2500.00

योग : 04

2500.00

योग : 111

2500.00

योग : 02

9610.00

04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास

103 - राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण

	धनराशि
03 - राज्य प्राधिकरण	
0306 - अन्य	
42 - अन्य व्यय	4391.04
योग : 0306	4391.04
योग : 03	4391.04
योग : 103	4391.04
योग : 04	4391.04
योग : 2406	14001.04
योग : राजस्व लेखा	14001.04
पूँजी लेखा-----	
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - वानिकी	
102 - समाज तथा फार्म वानिकी	
03 - समाजिक वानिकी (जिला योजना)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	20000.00
योग : 03	20000.00
योग : 102	20000.00
800 - अन्य व्यय	
18 - जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	300.00
योग : 18	300.00
योग : 800	300.00
योग : 01	20300.00
02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110 - वन्य जीव	
20 - रेस्क्यू/पुनर्वास/संरक्षण प्रजनन केन्द्रों का संचालन योजना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	65.00
योग : 20	65.00
21 - उत्तर प्रदेश वन्य जीवों का संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना	
42 - अन्य व्यय	3025.00

	धनराशि
योग : 21	3025.00
योग : 110	3090.00
योग : 02	3090.00
योग : 4406	23390.00
योग : पूंजी लेखा	23390.00
योग : अनुपूरक	37391.04

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. रेस्क्यू/पुनर्वास/संरक्षण प्रजनन केन्द्रों का संचालन योजना हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 135.00 लाख की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश वन्य जीवों का संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 6975.00 लाख की आवश्यकता ।
3. शहीद अशाफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान गोरखपुर, सोसाइटी हेतु कार्पस फण्ड के लिये रुपये 2500.00 लाख की आवश्यकता ।
4. उ 0 प्र 0 प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की वार्षिक प्रचालन योजना हेतु रुपये 4391.04 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. समाजिक वानिकी योजना (जिला योजना) हेतु रुपये 20000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस का निर्माण हेतु रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. रेस्क्यू/पुनर्वास/संरक्षण प्रजनन केन्द्रों का संचालन योजना हेतु पूंजी पक्ष में रुपये 65.00 लाख की आवश्यकता ।
8. उत्तर प्रदेश वन्य जीवों का संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना हेतु पूंजी पक्ष में रुपये 3025.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3948261.63	54516.00	4002777.63
	भारित	8146964.62	5736988.69	13883953.31
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	10001.00	10001.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3948261.63	64517.00	4012778.63
	भारित	8146964.62	5736988.69	13883953.31

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

04 - वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

1.00

योग : 04

1.00

योग : 800

1.00

योग : 4070

1.00

7610 - सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

202 - मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम

04 - न्यायिक अधिकारियों को मोटर वाहन अग्रिम

30 - निवेश/ऋण

10000.00

योग : 04

10000.00

योग : 202

10000.00

योग : 7610

10000.00

योग : पूँजी लेखा

10001.00

योग : अनुपूरक

10001.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ के लिये वाहन क्रय हेतु रुपये 1.00 लाख की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी |
2. न्यायिक अधिकारियों को रियायती दर पर मोटर वाहन अग्रिम हेतु रुपये 10000.00 लाख की आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	51347.91	10562.06	61909.97
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	48.00	...	48.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	51395.91	10562.06	61957.97
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

091 - संलग्न कार्यालय

10 - वित्त विभाग के अन्तर्गत पी.एम.यू. का गठन

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

1.00

योग : 10

1.00

योग : 091

1.00

योग : 2052

1.00

2425 - सहकारिता

101 - सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा

03 - सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान

42 - अन्य व्यय

17.00

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

30.00

योग : 03

47.00

योग : 101

47.00

योग : 2425

47.00

योग : राजस्व लेखा

48.00

योग : अनुपूरक

धनराशि

48.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वित्त विभाग के अन्तर्गत पी.एम.यू. का गठन हेतु रुपये 1.00 लाख की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी |
2. सहकारी समिति एवं पंचायतें, लेखा परीक्षा के अधिष्ठान व्यय के लिये कतिपय मानक मदों हेतु रुपये 47.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	12809.73	8573.92	21383.65
	भारित	180.10	...	180.10
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2057.97	2057.97
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	12809.73	10631.89	23441.62
	भारित	180.10	...	180.10

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत संबंधी कार्य

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

2057.97

योग : 03

2057.97

योग : 800

2057.97

योग : 80

2057.97

योग : 4059

2057.97

योग : पूँजी लेखा

2057.97

योग : अनुपूरक

2057.97

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विधान परिषद् परिसर में भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर वीडियो आधारित विज्ञेयणात्मक अग्नि प्रणाली/स्मरजेन्सी लाइटिंग सिस्टम प्रणाली की स्थापना सम्बन्धी कार्य हेतु रुपये 2057.97 लाख की आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	39419.72	9232.00	48651.72
	भारित	526.60	40.00	566.60
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1870.00	1870.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	39419.72	11102.00	50521.72
	भारित	526.60	40.00	566.60

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

13 - विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

1870.00

योग : 13

1870.00

योग : 800

1870.00

योग : 80

1870.00

योग : 4059

1870.00

योग : पूँजी लेखा

1870.00

योग : अनुपूरक

1870.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विधान सभा सचिवालय में स्थित विधान भवन पुस्तकालय एवं मुख्यमंत्री फोटो आर्ट गैलरी में आपातकालीन अग्नि सुरक्षा हेतु उच्च स्तरीय अग्निशमन प्रणाली स्थापित किये जाने हेतु रुपये 1870.00 लाख की आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	259120.75	40693.01	299813.76
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	198.34	...	198.34
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	259319.09	40693.01	300012.10
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

03 - प्रशिक्षण

001 - निदेशन और प्रशासन

03 - प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 25.00

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान 173.34

योग : 03 198.34

योग : 001 198.34

योग : 03 198.34

योग : 2230 198.34

योग : राजस्व लेखा 198.34

योग : अनुपूरक 198.34

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन हेतु स्पये 198.34 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7091203.74	576685.82	7667889.56
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	35125.64	...	35125.64
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7126329.38	576685.82	7703015.20
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

102 - अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

07 - बे.शि. परिषद के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रा. विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं के. जी./ नर्सरी विद्यालयों को सहायता

0701 - बे.शि. परिषदीय विद्यालयों को सहायता

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

13460.14

योग : 0701

13460.14

योग : 07

13460.14

योग : 102

13460.14

112 - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)

07 - पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत रसोइयों मानदेय हेतु अतिरिक्त (टॉप-अप) राज्यांश

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

21665.50

योग : 07

21665.50

योग : 112

21665.50

योग : 01

35125.64

योग : 2202

35125.64

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	35125.64
योग : अनुपूरक	35125.64

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. बेसिक शिक्षा परिषद् के दिनांक 31-03-2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी सामूहिक बीमा योजना प्रीमियम की धनराशि की वापसी के लिये बे.शि. परिषदीय विद्यालयों को सहायता हेतु रुपये 13460.14 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पी.एम पोषण योजनान्तर्गत रसोईया मनदेय हेतु अतिरिक्त टॉप-अप की व्यवस्था हेतु रुपये 21665.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2056319.19	125320.67	2181639.86
	भारित	2500.00	...	2500.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	7450.00	7450.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2056319.19	132770.67	2189089.86
	भारित	2500.00	...	2500.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

202 - माध्यमिक शिक्षा

08 - भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता

0801 - ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना

42 - अन्य व्यय

4450.00

योग : 0801

4450.00

योग : 08

4450.00

23 - उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल,लखनऊ

24 - बृहत् निर्माण कार्य

3000.00

योग : 23

3000.00

योग : 202

7450.00

योग : 01

7450.00

योग : 4202

7450.00

योग : पूँजी लेखा

7450.00

योग : अनुपूरक

धनराशि

7450.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु रुपये 4450.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ की क्षमता दोगुनी किये जाने हेतु रुपये 3000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	533485.32	107728.19	641213.51
	भारित	0.02	...	0.02
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	500.00	500.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	533485.32	108228.19	641713.51
	भारित	0.02	...	0.02

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

203 - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

11 - सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

24 - वृहत् निर्माण कार्य

500.00

योग : 11

500.00

योग : 203

500.00

योग : 01

500.00

योग : 4202

500.00

योग : पूँजी लेखा

500.00

योग : अनुपूरक

500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	308907.16	5980.78	314887.94
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3550.00	...	3550.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	312457.16	5980.78	318437.94
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 - अन्य कार्यक्रम

03 - आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत होमगार्ड स्वयं सेवकों / अवैतनिक अधिकारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा

42 - अन्य व्यय

3550.00

योग : 03

3550.00

योग : 200

3550.00

योग : 60

3550.00

योग : 2235

3550.00

योग : राजस्व लेखा

3550.00

योग : अनुपूरक

3550.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत होमगार्ड स्वयं सेवकों / अवैतनिक अधिकारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु रुपये 3550.00 लाख की आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-22 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	59609.66	7101.00	66710.66
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1577.13	1577.13
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	59609.66	8678.13	68287.79
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

03 - कार्यालयों का नव निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1000.00

योग : 03

1000.00

04 - औद्योगिक न्यायधिकरण(1) व श्रम न्यायालय प्रयागराज तथा विभाग के मुख्यालय हेतु नवीन भवन का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

500.00

योग : 04

500.00

योग : 051

1500.00

योग : 01

1500.00

योग : 4059

1500.00

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें

102 - कर्मचारी राज्य बीमा योजना

03 - चिकित्सालय

0301 - एलोपैथिक चिकित्सालय

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

65.97

04 - औषधालय

0401 - एलोपैथिक औषधालय

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

	धनराशि
योग : 0301	65.97
योग : 03	65.97
योग : 0401	11.16
योग : 04	11.16
योग : 102	77.13
योग : 01	77.13
योग : 4210	77.13
योग : पूँजी लेखा	1577.13
योग : अनुपूरक	1577.13

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अपर श्रमायुक्त, गौतमबुद्ध नगर के कार्यालयों का नव निर्माण हेतु रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. औद्योगिक न्यायधिकरण(1) व श्रम न्यायालय प्रयागराज तथा विभाग के मुख्यालय हेतु नवीन भवन का निर्माण हेतु रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता ।
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा बीमांकितों के हित में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पी.आई.पी.) में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सालयों हेतु रुपये 65.97 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा बीमांकितों के हित में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पी.आई.पी.) में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत एलोपैथिक औषधालय हेतु रुपये 11.16 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	36864.92	2327.81	39192.73
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	500.00	500.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	36864.92	2827.81	39692.73
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

203 - रोजगार

05 - सेवायोजन कार्यालयों के भवनों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नये भवनों के निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

500.00

योग : 05

500.00

योग : 203

500.00

योग : 4250

500.00

योग : पूँजी लेखा

500.00

योग : अनुपूरक

500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सेवायोजन कार्यालयों के भवनों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नये भवनों के निर्माण हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-22 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	531499.45	20510.13	552009.58
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	33861.84	153.90	34015.74
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	565361.29	20664.03	586025.32
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

03 - मुख्यालय / मण्डलीय / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 295.84

योग : 03 295.84

07 - नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान

63 - सामाजिक पेंशन 30454.00

योग : 07 30454.00

10 - विकलांगों को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 910.00

योग : 10 910.00

20 - शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 300.00

योग : 20 300.00

30 - डा. शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 752.00

	धनराशि
योग : 30	752.00
32 - कुष्ठवस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान	
63 - सामाजिक पेंशन	150.00
योग : 32	150.00
योग : 101	32861.84
104 - वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण	
03 - असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
योग : 03	1000.00
योग : 104	1000.00
योग : 02	33861.84
योग : 2235	33861.84
योग : राजस्व लेखा	33861.84

पूँजी लेखा-----

4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

36 - जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी)

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

	153.90
योग : 36	153.90
योग : 101	153.90
योग : 02	153.90
योग : 4235	153.90
योग : पूँजी लेखा	153.90
योग : अनुपूरक	34015.74

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मुख्यालय / मण्डलीय / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान हेतु रुपये 295.84 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान हेतु रुपये 30454.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. विकलांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 910.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

4. दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाकिल वितरित किये जाने हेतु रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के संचालन हेतु रुपये 752.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. कुष्ठवस्था दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान हेतु रुपये 150.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. प्रदेश के निर्धन एवं असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज के लिये अनुदान हेतु रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी) हेतु रुपये 153.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों
का कल्याण)

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-25 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1210736.28	170.00	1210906.28
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	165500.00	...	165500.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1376236.28	170.00	1376406.28
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान
को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

200 - अन्य कार्यक्रम

07 - आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य)के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन

15500.00

योग : 07

15500.00

योग : 200

15500.00

योग : 02

15500.00

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

102 - समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

03 - वृद्धावस्था /किसान पेंशन

0302 - वृद्धावस्था /किसान पेंशन

63 - सामाजिक पेंशन

150000.00

योग : 0302

150000.00

योग : 03

150000.00

	धनराशि
योग : 102	150000.00
योग : 60	150000.00
योग : 2235	165500.00
योग : राजस्व लेखा	165500.00
योग : अनुपूरक	165500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य)के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु रुपये 15500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु रुपये 150000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	87341.83	104676.26	192018.09
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10972.16	25582.00	36554.16
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	98313.99	130258.26	228572.25
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

796 - जनजातीय उपयोगना

07 - पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत रसोइयों मानदेय हेतु अतिरिक्त (टॉप-अप) राज्यांश

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

365.50

योग : 07

365.50

योग : 796

365.50

योग : 01

365.50

योग : 2202

365.50

2211 - परिवार कल्याण

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - काईण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स ग्रांट (के.60/रा.40-रा.)

42 - अन्य व्यय

10000.00

योग : 0104

10000.00

	धनराशि
योग : 01	10000.00
योग : 796	10000.00
योग : 2211	10000.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना

03 - निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु अनुदान

63 - सामाजिक पेंशन	462.00
योग : 03	462.00

05 - नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)

63 - सामाजिक पेंशन	60.00
योग : 05	60.00
योग : 796	522.00
योग : 02	522.00
योग : 2235	522.00

2403 - पशु पालन

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0113 - जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.51/रा.34/ला.15-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय	76.66
योग : 0113	76.66
योग : 01	76.66

04 - गाय और भैसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जिला योजना)

43 - सामग्री एवं सम्पत्ति	8.00
योग : 04	8.00
योग : 796	84.66
योग : 2403	84.66

योग : राजस्व लेखा	10972.16
-------------------	----------

पूँजी लेखा-----

4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय

03 - ग्रामीण आवास

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0102 - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.)

24 - बृहत् निर्माण कार्य

12204.00

योग : 0102 12204.00

योग : 01 12204.00

योग : 796 12204.00

योग : 03 12204.00

योग : 4216 12204.00

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0108 - विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत श्रमांश हेतु व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय

13378.00

योग : 0108 13378.00

योग : 01 13378.00

योग : 796 13378.00

योग : 4515 13378.00

योग : पूँजी लेखा 25582.00

योग : अनुपूरक 36554.16

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत रसोइयों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मानदेय के लिये अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) हेतु रुपये 365.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. काईण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स ग्रांट (के.60/रा.40-रा.) हेतु रुपये 10000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु अनुदान हेतु रुपये 462.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांगजन पेंशन) हेतु रुपये 60.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

5. जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.51/रा.34/ला.15-के.+रा.) हेतु रुपये 76.66 लाख की आवश्यकता ।
6. गाय और भैसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जिला योजना) हेतु रुपये 8.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.) हेतु रुपये 12204.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत श्रमांश हेतु रुपये 13378.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2087698.18	1891256.33	3978954.51
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	33119.09	385916.02	419035.11
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2120817.27	2277172.35	4397989.62
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

07 - पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत रसोइयों मानदेय हेतु अतिरिक्त (टॉप-अप) राज्यांश

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

8676.20

योग : 07

8676.20

योग : 789

8676.20

योग : 01

8676.20

योग : 2202

8676.20

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों का कल्याण

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

14 - सामाजिक उन्नति एवं कल्याण योजना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2000.00

योग : 14

2000.00

15 - मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति / जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन

200.00

	धनराशि
योग : 15	200.00
16 - डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास कार्यक्रम	
42 - अन्य व्यय	400.00
योग : 16	400.00
योग : 789	2600.00
योग : 01	2600.00
योग : 2225	2600.00
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02 - समाज कल्याण	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03 - नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)	
63 - सामाजिक पेंशन	2000.00
योग : 03	2000.00
06 - निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान	
63 - सामाजिक पेंशन	17850.00
योग : 06	17850.00
योग : 789	19850.00
योग : 02	19850.00
योग : 2235	19850.00
2401 - फसल कृषि कर्म	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
08 - मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना (फल, फूल, मसाला, औषधीय व सुगन्ध) (राज्य योजना)	
27 - सब्सिडी	491.43
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	8.57
योग : 08	500.00
योग : 789	500.00
योग : 2401	500.00
2403 - पशु पालन	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
04 - गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना	

	धनराशि
(जिला योजना)	
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	400.00
योग : 04	400.00
12 - बकरी पालन की योजना (रा.90/ला.10-रा.)	
39 - औषधि तथा रसायन	10.63
42 - अन्य व्यय	34.85
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	347.41
योग : 12	392.89
योग : 789	792.89
योग : 2403	792.89
2404 - डेरी विकास	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
06 - वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान	
27 - सब्सिडी	700.00
योग : 06	700.00
योग : 789	700.00
योग : 2404	700.00
योग : राजस्व लेखा	33119.09
पूँजी लेखा-----	
4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय	
03 - ग्रामीण आवास	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102 - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	74553.02
योग : 0102	74553.02
योग : 01	74553.02
योग : 789	74553.02
योग : 03	74553.02

	धनराशि
योग : 4216	74553.02
4225 - अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछडे वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
10 - अति पिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना	
1003 - सम्पर्क मार्ग का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	3000.00
योग : 1003	3000.00
योग : 10	
3000.00	
11 - सामाजिक उन्नति एवं कल्याण योजना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	
	500.00
योग : 11	500.00
14 - डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास कार्यक्रम	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	
	40300.00
योग : 14	40300.00
योग : 789	43800.00
योग : 01	43800.00
योग : 4225	43800.00
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0108 - विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत श्रमांश हेतु व्यवस्था (के.60/रा.40-के.+रा.)	
42 - अन्य व्यय	267563.00
योग : 0108	267563.00
योग : 01	
267563.00	
योग : 789	267563.00
योग : 4515	267563.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	385916.02
योग : अनुपूरक	419035.11

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत रसोइयों को अतिरिक्त मानदेय के लिए राज्यांश हेतु रुपये 8676.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. सामाजिक उन्नति एवं कल्याण योजना के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 2000.00 लाख की आवश्यकता ।
3. मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति / जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना हेतु रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता ।
4. डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास कार्यक्रम के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता ।
5. दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) हेतु रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के संचालन हेतु रुपये 17850.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना) हेतु रुपये 400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. बकरी पालन की योजना हेतु रुपये 392.89 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान हेतु रुपये 700.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 74553.02 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बहुल ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु रुपये 3000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
13. सामाजिक उन्नति एवं कल्याण योजना के लिये पूंजीगत व्यय हेतु रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता ।
14. डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास कार्यक्रम के लिये पूंजीगत व्यय हेतु रुपये 40300.00 लाख की आवश्यकता ।
15. विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजनान्तर्गत श्रमांश हेतु रुपये 267563.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	128980.84	2501.00	131481.84
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	55000.00	...	55000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	183980.84	2501.00	186481.84
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2220 - सूचना तथा प्रचार

60 - अन्य

101 - विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार

05 - अधिष्ठान

19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय

50000.00

योग : 05

50000.00

योग : 101

50000.00

110 - प्रकाशन

03 - अधिष्ठान

18 - प्रकाशन

5000.00

योग : 03

5000.00

योग : 110

5000.00

योग : 60

55000.00

योग : 2220

55000.00

योग : राजस्व लेखा

55000.00

योग : अनुपूरक

55000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सूचना विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार अधिष्ठान में विज्ञापन बिक्री और विख्यापन मद हेतु रुपये 50000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. सूचना विभाग के अन्तर्गत प्रकाशन अधिष्ठान हेतु रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7622.66	1562.00	9184.66
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	200.00	...	200.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7822.66	1562.00	9384.66
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 - अन्य कार्यक्रम

05 - भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु पायलेट परियोजना

42 - अन्य व्यय

200.00

योग : 05

200.00

योग : 200

200.00

योग : 60

200.00

योग : 2235

200.00

योग : राजस्व लेखा

200.00

योग : अनुपूरक

200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु पायलेट परियोजना हेतु रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-20 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	20820.30	21743.45	42563.75
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	243.52	243.52
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	20820.30	21986.97	42807.27
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

04 - कला तथा संस्कृति

800 - अन्य व्यय

05 - भारतेन्दु नाट्य अकादमी, नवीन परिसर की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1.00

योग : 05

1.00

20 - जनपद बाराबंकी में "पद्म श्री" बाबू के.डी. सिंह के पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

242.52

योग : 20

242.52

योग : 800

243.52

योग : 04

243.52

योग : 4202

243.52

योग : पूँजी लेखा

243.52

योग : अनुपूरक

243.52

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के नवीन परिसर की स्थापना हेतु रुपये 1.00 लाख की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी |

2. जनपद बाराबंकी में 'पद्म श्री' बाबू के.डी. सिंह के पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु रुपये 242.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2026-2027 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 10)के पृष्ठ संख्या 1-13 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	166457.59	1606577.58	1773035.17
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	147.50	...	147.50
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	166605.09	1606577.58	1773182.67
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2702 - लघु सिंचाई

02 - भू-जल

005 - अन्वेषण

06 - भू-जल जन जागरूकता एवं प्रचार - प्रसार योजना

42 - अन्य व्यय

147.50

योग : 06

147.50

योग : 005

147.50

योग : 02

147.50

योग : 2702

147.50

योग : राजस्व लेखा

147.50

योग : अनुपूरक

147.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भू-जल जन जागरूकता एवं प्रचार - प्रसार योजना हेतु रुपये 147.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता ।